फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कंडिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश–पत्र (रिव्हेन्यु ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगांव के न्यायालय में मामला कमांक 2025040910000/7 सन् 2024 –25

विषय – **अवैध लकडी कटाई** मावजे की श्रेणी अ / 62

ग्राम **मगरघोखरा** वंन्दोबस्त कमांक .... पटवारी हल्का कमांक .... तहसील छुरिया

कलेक्टर का कमांक .... सन् 2024–25 अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक ....सन् 2024–25

तहसीलदार का कमांक .... सन् 2024–25 नायब तहसीलदार का क्रमांक .... सन् 2024–25

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही **छ.ग.शासन वि. प्रीतम राम साहू**	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
1	2	3
22.04.2025	वन परिक्षेत्र अधिकारी राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक / 181 राजनांदगांव, दिनांक 29.01.2025 अनुसार अवैध परिवहन के तहत मेटाडोर क्रमांक CG 08 AY 5189 को मय काष्ठ सहित जी.ई.रोड इंदामरा के पास रोककर मेटाडोर में लदे काष्ठ की वैध कागजात की मांग किया गया। वाहन चालक के द्वारा काष्ठ के संबंध में वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाने पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 17844 / 04 दिनांक 10.01.2025 दर्ज कर प्रकरण की सम्पूर्ण जांच किया गया। जांच के दौरान वाहन में भरे नीम, महुआ एवं मिश्रित प्रजाति के चट्टा की सक्षम अधिकारी के अनुमति बिना काटा जाना पाया गया। वाहन मालिक के द्वारा अवैध परिवहन का उल्लंघन करने पर भारतीय अधिनियम 1927 की धारा 68 के परन्तुक संशोधन अधिनियम 2015 के अनुरूप वनोपज से भिन्न अभिग्रहित संपत्ति 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) रूपये अग्रिम वसूली कर वाहन मुक्त किया गया। उक्त प्रकरण में जप्त नीम, महुआ व मिश्रित प्रजाति के चट्टा की कटाई भूमि स्वामी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना काटी गई है एवं काटी गई काष्ठ निजी भूमि स्वामी हक की होने के कारण जांच हेतु हस्तांरित किया गया है। प्रकरण दर्ज करे। प्रकरण में भूमि स्वामी प्रीतम राम साहू आ. मिलऊ साहू, जाति तेली, निवासी ग्राम मगरधोखरा, तहसील छुरिया का शपथपूर्वक कथन संलग्न है। उन्होने अपने कथन में बताया है कि अपने स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नंबर 252 / 1 रकबा 0.454 हेक्टेयर भूमि में स्थित	

नीम, महुआ, बबूल, कसही एवं रिया प्रजाति के लकडी को घरेलू उपयोग के लिए काट कर रखा हुआ था। जिसे अपने पारिवारिक मित्र जसराम सिन्हा आ. प्रीतम राम सिन्हा, निवासी ग्राम सांगिनकछार को जलाऊ लकडी को ले जाने के लए कहा गया, तब उसके द्वारा दिनांक 10.01.2025 को बोलेरो वाहन क्र. CG 08 AY 5189 को भेजा गया तथा अनावेदक द्वारा उक्त वाहन में लोड करा कर भेजा गया तथा जी. ई.रोड इन्दामरा चौक के पास वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी वाहन को रोकर वाहन में लोड लकड़ी के संबंध में वाहन चालक द्वारा कोई भी अनुज्ञा पत्र नहीं होना बतलाया गया तथा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी वन अपराध प्रकरण क्र. 18744/04 दिनांक 10.01.2025 जारी कर तुमडीबोड ले जाया गया और वाहन चालक के द्वारा उक्त घटना की जानकारी दिया गया। उक्त लकड़ी को काटने एवं परिवहन के लिए विभाग से अनुमति लेनी होती है ये बात अनावेदक को मालूम नही था, उक्त कृत्य जानकारी के बिना हुआ है। जिसक लिएविभाग से क्षमा चाहता हूँ और विभाग से राजी नामा चाहता हूं। विभाग द्वारा जो भी अर्थदण्ड देगा वह मान्य करता हूँ।

प्रकरण में वन परिक्षेत्र अधिकारी राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम मगरधोखरा, प.ह.नं. 18, तहसील छुरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 252/1 रकबा 0.454 हेक्टेयर जो कि अनावेदक प्रीतम राम साहू आ. मिलऊ साहू, निवासी ग्राम मगरधोखरा के भूमिस्वामी हक में दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थित नीम, महुआ एवं मिश्रित प्रजाति के वृक्ष को अवैध रूप से कटाई कराकर उनके पारिवारिक मित्र जसराम सिन्हा आ. प्रीतम राम सिन्हा, निवासी ग्राम सांकिनकछार को जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होने से घरेलू उपयोग हेतु ग्राम सांगिनकछार ले जा रहा था। अनावेदक द्वारा नीम, महुआ एवं मिश्रित प्रजाति के वृक्ष को बिना अनुमति के कटाई कर परिवहन किये जाने के कारण भू.रा.सं. 1959 के बने प्रावधान के तहत 5000/- (अक्षरी पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अनावेदक आरोपित अर्थदण्ड की राशि खजाना दाखिल करे। जप्त शुदा नीम, महुआ एवं मिश्रित प्रजाति के वृक्षो की काष्ठ को अनावेदक के सुपुर्द किया जावे। बाद प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा.द. करे।

आज दिनांक 07/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की. पदमुद्रा से आदेश पारित एवं खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डोंगरगांव
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)